राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा / ग्रुप–2 / 2024 जयपुर, दिनांक :

डा. अनुराधा सालवी,
चिकित्सा अधिकारी,
महिला अस्पताल, सांगानेरी गेट, जयपुर।

विषयः– मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4582 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 03.11.2022 की पालना में **आपके द्वारा दिनांक 05.01.2024 को प्रस्तुत अभ्यावेदन के निस्तारण के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय आदेश दिनांक 03.09.2022 के क्रम संख्या 65 के द्वारा आपका महिला चिकित्सालय, जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, पांचोडी, नागौर में स्थानान्तरण किया गया था। उक्त आदेशों के विरूद्ध आपने मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 4582 / 2022 दायर की। उक्त अपील में मा. अधिकरण ने दिनांक 03.11.2022 को आदेश पारित कर आपको 2 सप्ताह में विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के निर्देश प्रदान किये। साथ ही मा. अधिकरण ने निर्देश प्रदान किये कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन के निस्तारण होने तक अपीलार्थी के संबंध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 03.09.2022 का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा एवं अपीलार्थी द्वारा निश्चित अवधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करने पर स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जायेगा। मा. अधिकरण के उक्त आदेशों की पालना में आपके द्वारा लगभग 14 माह पश्चात दिनांक 05.01.2024 को निदेशालय में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है, जबकि मा. अधिकरण ने आपको 2 सप्ताह में विभाग के समक्ष प्राधिकारी को अपील में वर्णित आधारों पर अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाना था।

आपने अपने अभ्यावेदन में महिला चिकित्सालय, जयपुर में निरन्तर रखे जाने का निवेदन किया है।

आपके द्वारा मा. अधिकरण के निर्देशों की पालना में विभाग में समय पर (2 सप्ताह में अभ्यावेदन) प्रस्तुत नहीं किया गया है। आपके द्वारा अत्यधिक विलम्ब से प्राप्त (लगभग 14 माह पश्चात) अभ्यावेदन पर गुणावगुण के आधार पर विचार करते हुए आपका अभ्यावेदन निरस्त किया जाता है।

भवदीया,

(निशा मीना)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– विशिष्ठ सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2– निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3– निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ।
4– अधीक्षक, महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर
5– संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, जयपुर / अजमेर
6– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर
7– रक्षित पत्रावली

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6611550

Signature valid
Digitally signed by N[illegible]a Meena
Designation: Joint Secretary To Government
Date: 2024.04.[illegible]3:44:01 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः संस्था/चि0अ0/एटी/प.02/2024/178 दिनांक : 24/04/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान जयपुर।
2. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-राज.।
3. उपविधि परामर्शी मुख्यालय को मा. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर द्वारा अपील संख्या 4582/2022 में पारित आदेश दिनांक 03.11.22 की पालना में।
4. अधीक्षक, महिला अस्पताल, सांगानेरी गेट, जयपुर, राज.।
5. डा. अनुराधा सालवी, चिकित्सा अधिकारी द्वारा अधीक्षक, महिला अस्पताल, सांगानेरी गेट, जयपुर, राज.।
6. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
7. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
8. निजि/आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर